न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 36/2021 बउनवानी देवीलाल बैरवा बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा पुत्र श्री सुखलाल बैरवा निवासी लवकुश कॉलोनी खेरदा,स0मा0

GCMS No-2021/77

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
14.7. 2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 18.3.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. नाहरी कलां,राजस्व क्षेत्र मे एक बीघा कितने वर्गफुट, वर्गगज, वर्ग मीटर का होता है।
2. नाहर कलां राजस्व क्षेत्र में खसरा नम्बर 68,582/69,464,465 ट्रेस नक्शा के अनुसार लम्बाई, चौडाई कितने वर्ग फुट, वर्ग गज, वर्ग मीटर का है।
3. एक जरीब कितने गज, फुट,मीटर की होती है।
4. गुनिया कितने इंच का होता है, एक गुनिया मे कितने खाना व एक खाना में कितनी कडी का होता है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक भू.अ./2021/244दिनांक 13.7.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 18.3.2021 के बिन्दु संख्या 1 3,4 5 मे चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक है तथा अधिनियम की धारा 2(च) एवं 7(9) के प्रश्नात्मक एवं सृजनात्मक प्रवृत्ति की सूचना उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक नही होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। बिन्दु संख्या 2 पर वर्णित ख0न0 के नक्शा ट्रेस की प्रति हेतु 80/–रू शुल्क जमा करवाने बाबत अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 118 दिनांक 31.3.2021 को लिखा जा चुका है। अपीलान्ट द्वारा अभी तक बिन्दु संख्या 2 की सूचना के लिए शुल्क जमा नही करवाया गया है इसलिए सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 18.3.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1,2,3,4,5 में चाही गयी सूच[illegible] प्रश्नात्मक है किन्तु सामान्य प्रकृति की होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध क[illegible]या जाना उचित समझते है। अतः तहसीलदार चौथ का बरवाडा को निर्देशित किया जाता है कि [illegible] संख्या 1 लगायत 5 पर चाही गयी सूचना सामान्य प्रकृति की [illegible] अपीलान्ट को 15 दिवस [illegible] शुल्क उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपी[illegible] अपीलान्ट का निस्त[illegible]किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:37:47 IST
Reason: SelfAttested